



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127008

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3121 वर्ष 2026

सावित्री देवी

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : ब्रजेश कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची पुनरीक्षित की गई।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री ब्रजेश कुमार सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार शुक्ला और राज्य/प्रतिवादी पक्ष संख्या 1 के अधिवक्ता श्री वी.डी. ओझा (ए.जी.ए.) की बात सुनी गई और रिकॉर्ड देखे गए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. 26.03.2026 के आदेश के तहत प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को नोटिस भेजा गया था। 27.05.2026 की ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को नोटिस व्यक्तिगत रूप से दिया जा चुका है। इस बारे में रिपोर्ट रिकॉर्ड पर 'फ़्लैग-एक्स' के तौर पर रखी गई है।

4. इस न्यायालय ने 21.04.2026 की उस रिपोर्ट को देखा है, जिसमें मैनपुरी के इंचार्ज चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने बताया है कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को नोटिस दिया जा चुका है।

5. इसके साथ संबंधित पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। यह प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस मिलने का प्रमाण है। प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस तामील होने के बावजूद, उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

6. यह अपीलकर्ता सावित्री देवी द्वारा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत आपराधिक अपील में ज़मानत के लिए दूसरी अर्जी है। इसमें मुख्य रूप से दो मांगों की गई हैं: पहली, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) (पी.ए.) अधिनियम, मैनपुरी द्वारा ज़मानत अर्जी संख्या 292/2026 (सावित्री देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में 20.02.2026 को पारित आदेश को रद्द किया जाए। यह मामला *मुकदमा अपराध संख्या 371/2023* से संबंधित है, जो आईपीसी की धारा 302, 201 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5ए) के तहत थाना बिछवां, ज़िला मैनपुरी में दर्ज किया गया था। दूसरी मांग यह है कि अपीलकर्ता को उक्त मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए।

7. अपीलकर्ता की ज़मानत की पहली अर्जी को इस न्यायालय की एक अन्य बेंच ने क्रिमिनल अपील संख्या 4972/2024 (सावित्री देवी बनाम यूपी राज्य और अन्य) में 02.01.2025 को पारित आदेश के ज़रिए खारिज कर दिया था। उक्त आदेश इस प्रकार है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“1. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए (2) के तहत, अपीलकर्ता सावित्री देवी द्वारा दायर की गई है। यह अपील मैनपुरी के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 29.3.2024 को पारित उस आदेश के खिलाफ है जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। यह मामला पुलिस स्टेशन बिछवा, जिला मैनपुरी के तहत अपराध संख्या 371/2023 से संबंधित है, जिसमें आईपीसी की धारा 302, 201 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)5 के तहत आरोप हैं।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता और एजीए (अपर शासकीय अधिवक्ता) की दलीलें सुनी गईं और पूरे रिकॉर्ड की समीक्षा की गई।

3. मृतक सनी, जो एक दुकानदार और शिकायतकर्ता मनोज कुमार का भाई था, पर नामजद आरोपियों - रमेश चंद्र, सावित्री देवी, आशीष और मौजूदा अपीलकर्ता लालू उर्फ ललित - ने हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आईं। बाद में, अगले दिन उसका शव एक खेत की झाड़ियों में मिला। एफ.आई.आर. दर्ज की गई और कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद, आई.ओ. ने इस मामले में मौजूदा आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की; हालाँकि, आरोपी संख्या 3 आशीष का नाम मामले से हटा दिया गया।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने यह अपराध नहीं किया है। उस पर लगाए गए आरोप लागू नहीं होते। आगे यह भी कहा गया है कि कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अपराध करने में मौजूदा आरोपी अपीलकर्ता की कोई खास भूमिका नहीं बताई गई है और असल में किसी ने भी किसी आरोपी को मृतक पर हमला करते हुए नहीं देखा है। आगे यह भी कहा गया है कि अभियोजन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्ष का मामला हालात से जुड़े सबूतों पर आधारित है और सबूतों की कड़ी पूरी नहीं है। साथ ही, अभियोजन पक्ष ने घटना के पीछे कोई मकसद नहीं बताया है और मौजूदा अपीलकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह 5.11.2023 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और सबूतों पर सही नज़रिए से विचार नहीं किया और आदेश पारित करने में गलती की। अंत में यह कहा गया है कि अपीलकर्ता की ज़मानत अर्ज़ी को खारिज करने वाला विवादित आदेश कमियों और गैर-कानूनी बातों से भरा है, जिस पर इस न्यायालय को दखल देने की ज़रूरत है।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने आरोपी अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील और ज़मानत अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया और कहा कि अपीलकर्ता ने यह जानते हुए अपराध किया कि पीड़ित अनुसूचित जाति समुदाय का था। यह भी कहा गया कि मृतक श्रीमती प्रेमलता की दुकान में कर्मचारी था और उसने मृतक पर हुए हमले की घटना को देखा था। यह भी कहा गया कि हमले की घटना के अगले ही दिन मृतक का शव झाड़ियों में मिला। यह भी कहा गया कि जांच के दौरान आई.ओ. ने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि मृतक के चेहरे के बाईं ओर माथे पर कई खरोंचें और कई अन्य चोटें आई थीं। हायोइड हड्डी भी टूटी हुई है और मौत का कारण दम घुटना पाया गया है, जो मरने से पहले गला घोंटे जाने के कारण हुआ। यह भी कहा गया कि यह एक युवा लड़के की हत्या का मामला है और मौजूदा अपीलकर्ता ज़मानत देकर इस न्यायालय से किसी भी तरह की नरमी पाने का हकदार नहीं है। 29.3.2024 के आदेश में कोई कमी या गैर-कानूनी बात नहीं है। इन्हीं आधारों पर अपील को खारिज करने और ज़मानत अर्ज़ी को नामंजूर करने का अनुरोध किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया है और विवादित आदेश सहित पूरे रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

7. पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने से ऐसा लगता है कि विचारण न्यायालय ने जमानत अर्जी पर फैसला करते समय अपील करने वाले के मामले पर ठीक से विचार किया है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, आरोपी की संलिप्तता, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जांच के दौरान आई.ओ. ने मौजूदा अपील करने वाले के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा किए हैं; साथ ही, मौजूदा आरोपी अपील करने वाले सहित नामजद आरोपियों द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप मृतक को लगी चोटों और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि मृतक समाज के कमजोर वर्ग का सदस्य था और एससी/एसटी समुदाय से संबंधित था, यह न्यायालय इस राय का है कि अपील करने वाले का जमानत का मामला नहीं बनता है। संबंधित न्यायालय ने अपील करने वाले की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए तर्कपूर्ण आदेश पारित किया। विवादित आदेश में कोई कमी या गैर-कानूनी बात नहीं है, इसलिए इसे बरकरार रखा जाना चाहिए और अपील खारिज की जानी चाहिए।

8. इस प्रकार, अपील करने वाले की जमानत अर्जी खारिज करने वाले विवादित आदेश को बरकरार रखा जाता है और अपील खारिज की जाती है।

8. अपील करने वाले के अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में विचारण शुरू हो चुका है और चार गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। श्रीमती प्रेमलता (पीडब्लू-3) का बयान पेश करते हुए यह कहा गया है कि वह घटना की एकमात्र कथित चशमदीद गवाह हैं, लेकिन उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। यह कहा गया है कि उनके बयान को देखने से पता चलता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं कि अपील करने वाले को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि उन्होंने मृतक के भाई को बताया था कि कुछ लोगों ने मृतक पर हमला किया था। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी रमेश चंद्र को इस न्यायालय की एक अन्य बेंच ने अपराधिक अपील संख्या 4605/2025 (रमेश चंद्र बनाम यू.पी. राज्य और अन्य) में 18.09.2025 के आदेश के तहत जमानत दी है, और एक अन्य सह-आरोपी लालू उर्फ ललित को भी इस न्यायालय की एक अन्य बेंच ने अपराधिक अपील संख्या 7237/2025 (लालू उर्फ ललित बनाम यू.पी. राज्य और अन्य) में 02.02.2026 के आदेश के तहत जमानत दी है। अपील के पैरा 13 में बताए अनुसार, अपील करने वाले का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि अपील करने वाली महिला है और 05.11.2023 से जेल में है।

9. इसके उलट, राज्य के अधिवक्ता ने अपील और जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि यह अपीलकर्ता की जमानत की दूसरी अर्जी है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक पीडब्लू-3 की गवाही का सवाल है, उन्हें 'होस्टाइल' (विपरीत गवाह) घोषित नहीं किया गया है और वह घटना की चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई चल रही है और यह काफी आगे बढ़ चुकी है; औपचारिक गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और डॉ. सत्येंद्र सारस्वत से पीडब्लू-4 के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पूछताछ की गई है, जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने कहा कि गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। उन्होंने आगे कहा कि सह-आरोपी रमेश चंद्र और लालू उर्फ ललित को इस न्यायालय की दूसरी बेंच ने जमानत दे दी है, लेकिन उन आदेशों में इस बात पर विचार नहीं किया गया कि अपीलकर्ता की पहली जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों का मामला एक जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कोई नया आधार नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह साफ़ है कि यह आरोपी अपीलकर्ता की अपील में ज़मानत की दूसरी अर्ज़ी है। अपील में ज़मानत की उसकी पहली अर्ज़ी इस न्यायालय की एक दूसरी बेंच ने 02.01.2025 के आदेश से खारिज कर दी थी; मामले की सुनवाई चल रही है जिसमें चार गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर 7 चोटें पाई गईं और मौत का कारण दम घुटना बताया गया, जो मरने से पहले गला घोंटे जाने के कारण हुआ था; साथ ही हायोइड बोन और ट्रेकिया के पहले और दूसरे छल्ले भी टूटे हुए पाए गए। मामले की सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है, इसलिए ज़मानत अर्ज़ी के दौरान गवाहों के बयानों का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। यह काम विचारण न्यायालय को सही समय पर करना होगा। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में दखल देने की ज़रूरत है।

11. मामले की पूरी स्थिति और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की प्रकृति को देखते हुए, मैं इस अपील को मंजूर करने के पक्ष में नहीं हूँ।

12. इसलिए, अपील **खारिज** की जाती है।

12 जून, 2026

इम्तियाज

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।